

राजस्थान सरकार

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एजी/संस्था/RTI/2018-19/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विधि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21.06.2005 में प्रकाशित हुआ है, की धारा 5(1) एवं 10(1) के अनुसरण में महाधिवक्ता, राजस्थान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली को एक शासकीय ईकाई मानते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एजी/संस्था/2013/453-461 दिनांक 04.02.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तुरन्त प्रभाव से मनोनीत किया जाता है :-

क्र०सं०	ईकाई	लोक सूचना अधिकारी
1.	महाधिवक्ता, राजस्थान, जोधपुर	श्री सुनील बेनीवाल, अति० महाधिवक्ता

Sd

महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एजी/संस्था/RTI/2018-19/339

दिनांक:- 29-1-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. कार्यालय अध्यक्ष एवं अति० महाधिवक्ता श्री संदीप शाह राज०, जोधपुर।
3. श्री सुनील बेनीवाल, अति० महाधिवक्ता, जोधपुर।
4. ✓ श्री शिवनन्दन सिंह, प्रोग्रामर, कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

Sd
महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एजी/ संस्था/ RTI/ 2018-19/ 335

दिनांक :- 29.01.19

कार्यालय आदेश

विधि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21.06.2005 में प्रकाशित हुआ है, की धारा 5(1) एवं 10(1) के अनुसरण में महाधिवक्ता, राजस्थान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/ नई दिल्ली को एक शासकीय ईकाई मानते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एजी/ संस्था/ 2013/ 453-461 दिनांक 04.02.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तुरन्त प्रभाव से मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	ईकाई	लोक सूचना अधिकारी
1.	महाधिवक्ता, राजस्थान, जोधपुर	श्री सुनील बेनीवाल, अति० महाधिवक्ता

ह०/-

महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एजी/ संस्था/ RTI/ 2018-19/ 336-340

दिनांक :- 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. कार्यालय अध्यक्ष एवं अति. महाधिवक्ता श्री संदीप शाह, राजस्थान, जोधपुर।
3. श्री सुनील बेनीवाल, अति. महाधिवक्ता, जोधपुर।
4. श्री शिवनन्दन सिंह, प्रोग्रामर, कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

ह०/-

महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।